एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 194/2007
प्यारेलाल बनाम पंजाब नेशनल बैंक व अन्य

1.5.2007

माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक

श्री एन.एल.गुप्ता, अधिवक्ता याची की ओर से।

याची के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

याचिकाकर्ता द्वारा पूर्व में दायर एकलपीठ दीवानी प्रथम अपील संख्या 148/1986 में पारित निर्णय दिनांक 3 दिसम्बर, 2004 से यह प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया एवं अयाची बैंक को निर्देश दिया गया था कि वे याचिकाकर्ता द्वारा देय ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर करेंगे न कि त्रैमासिक आधार पर तथा ब्याज की दर आरंभिक अवधि के लिये रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार 9 प्रतिशत वार्षिक की बजाय 6 प्रतिशत वार्षिक होगी एवं इस आधार पर पुन: गणना के पश्चात वे याचिकाकर्ता को विवरण उपलब्ध करायेंगे। उन्होनें इस निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता को पुन: विवरण उपलब्ध कराया। उसके पश्चात न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 2, भरतपुर ने अपने आदेश दिनांक 10.2.2005 के द्वारा बैंक को याचीगण से संयुक्तत: एवं पृथकत: 13454 रुपये 25 पैसे प्राप्त करने का अधिकारी माना तथा इसके अतिरिक्त दिनांक 11.1.1982 से 5.8.1986 तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से तथा दिनांक 5.8.1986 से तावसूली तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी माना। तत्पश्चात बैंक द्वारा ईजराय प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया एवं न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 18.9.2006 में दोनों पक्षों की बहस सुनकर यह निष्कर्ष निकाला कि प्रारंभिक डिक्री के पश्चात जो संशोधित डिक्री इस न्यायालय के आदेश की पालना में जारी की गयी थी उसमें कोई त्रुटि नहीं है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि याची केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कृषि ऋण पर 10,000/- रुपये की अनुदान राशि का अधिकारी था। इस बाबत बैंक ने इजराय प्रार्थनापत्र के जवाब की मद संख्या 7 में अंकित किया कि याची को 10,000/- रुपये ऋण राहत केन्द्र सरकार से प्राप्त हो सकती क्योंकि उनके विरुद्व दावा 1988 से पूर्व ही दायर कर दिया गया था तथा यह योजना उसके पश्चात लागू हुई। इसके बाबत केन्द्र सरकार से कोई राहत उन्हें प्राप्त नहीं हुई है।

मैं आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाता हूं। परन्तु यदि याची चाहे तो अयाचीगण के समक्ष प्रतिवेदन उन आधारों पर प्रस्तुत कर सकता है जिनके तहत वह स्वयं को अनुदान राशि प्राप्त करने का अधिकारी मानता है। अयाचीगण से अपेक्षा की जाती है कि यदि याची इस प्रकार का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है तो उस पर समग्र रुप से विचार कर यदि याची को अनुदान प्राप्त करने का अधिकारी पाते हैं तो, उसे वांछित अनुतोष देंगे।

यह याचिका इसी प्रकार निस्तारित की जाती है।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति